



आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश (दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्)

जय प्रकाश अस्पताल, आई.ई.सी. ब्यूरो प्रथम तल भोपाल



क्रमांक / एस.एच.ए/ए.बी/2023/ 593

भोपाल, दिनांक 13/4/2023

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत (समस्त)

विषय:- आयुष्मान भारत "निरामयम्" योजनांतर्गत हितग्राहियों को PVC Card (पी.वी.सी.) वितरण के संदर्भ में।

लेख है कि आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र. के अंतर्गत लगभग 4.70 करोड़ पात्र हितग्राहियों को योजनांतर्गत राशि रुपये 5 लाख प्रति हितग्राही परिवार प्रतिवर्ष निःशुल्क उपचार प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। उक्त हेतु हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड निर्मित कर वितरित किये जाने की कार्यवाही विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से (जैसे कि कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र इत्यादि के द्वारा) प्रचलन में है।

योजनांतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों को पी.वी.सी. आयुष्मान कार्ड प्रदाय किये जाने की नवीन व्यवस्था के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा खुली निविदा के माध्यम से राज्य में विभिन्न क्लस्टरों के लिये पृथक से एजेंसियां नियुक्त की गई है।

योजना के प्रथम चरण में उक्त एजेंसियों द्वारा निर्धारित समय सीमा अनुसार तथा निर्धारित मापदण्डों अनुसार पी.वी.सी.कार्ड प्रिंट कर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत स्तर तक वितरित किया जायेगा। उक्त एजेंसियों द्वारा आयुष्मान भारत कार्ड को उक्त अधिकारियों के आधिकारिक पते पर डिलीवरी कराना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत विभिन्न मानव संसाधन (जैसे कि आशा कार्यकर्ता, ग्राम रोजगार सहायक) के माध्यम से प्रिन्टेड पी.वी.सी. आयुष्मान कार्ड हितग्राहियों तक वितरित कराना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त मानव संसाधनों को प्रति पी.वी.सी कार्ड के वितरण हेतु प्रोत्साहन राशि रुपये 5/- दिया जाना निश्चित किया गया है। उक्त प्रोत्साहन राशि पर होने वाले वित्तीय व्यय का वहन राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा किया जायेगा। सिर्फ उन्ही पी.वी.सी कार्ड के वितरण की प्रोत्साहन राशि मान्य की जावेगी जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के ऐप द्वारा ओ.टी.पी. वेरिफाइड होंगे।

एजेंसियों द्वारा जनपद पंचायतवार पी.वी.सी. कार्ड दिनांकवार डिलेवरी शेड्यूल (date wise delivery schedule) (ध्वज - 'अ') पर संलग्न हैं। पी.वी.सी कार्ड के मापदंड एवं डिलेवरी हेतु विस्तृत कार्ययोजना का इंस्ट्रक्शन बुकलेट (ध्वज - 'ब') पर संलग्न हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सेतु ऐप पर KYC किये जाने की प्रक्रिया हेतु निर्देश एवं प्रशिक्षण पृथक से दिया जावेगा।

माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक करोड़ पी.वी.सी. आयुष्मान कार्ड प्रदेश स्तर पर वितरित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित कार्यक्रम का विस्तृत विवरण पृथक से जारी किया जावेगा व उक्त कार्यक्रम के विस्तृत कार्ययोजना प्राप्त होने तक प्रिन्टेड पी.वी.सी. कार्ड हितग्राहियों को वितरित न किया जावे। उक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :-

1. ध्वज - 'अ' (एजेंसियों द्वारा जनपद पंचायतवार दिनांकवार डिलेवरी शेड्यूल)
2. ध्वज - 'ब' (पी.वी.सी. कार्ड के वितरण हेतु इंस्ट्रक्शन बुकलेट)

मलय श्रीवास्तव

प्रमुख सचिव

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश

मोहम्मद सुलेमान

अपर मुख्य सचिव

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश

क्रमांक / एस.एच.ए/ए.बी/2023/594
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 13/4/2023

1. आयुक्त स्वास्थ्य एवं सह सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
2. संभाग आयुक्त, समस्त संभाग मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला - कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" भोपाल मध्यप्रदेश।
5. वित्त अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" भोपाल मध्यप्रदेश।
6. महाप्रबंधक (ऑपरेशन) आयुष्मान भारत "निरामयम्" भोपाल मध्यप्रदेश।
7. महाप्रबंधक (विधि) आयुष्मान भारत "निरामयम्" भोपाल मध्यप्रदेश।
8. लेखा अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" भोपाल मध्यप्रदेश।
9. उप संचालक आई.टी. शाखा, आयुष्मान भारत "निरामयम्" भोपाल मध्यप्रदेश।
10. समस्त संभाग प्रभारी अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" भोपाल मध्यप्रदेश।
11. प्रोजेक्ट हेड आई.एस.ए/बी.एफ.ए आयुष्मान भारत "निरामयम्" भोपाल मध्यप्रदेश।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश